न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री महेन्द्र सोनी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टस**
सुमेराराम पुत्र मसरारामजी जाति पुराहित निवासी वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1.मेघाराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवाल निवासी भीनमाल जिला जालोर 2.रमेश कुमार पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर 3.सरकार जरिये,तहसीलदार रानीवाडा

प्रकरण संख्या अपील **35/2018**

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

....

पक्षकारान के अभिभाषकगणः-

1- श्री तेजसिंह बालावत अभिभाषक अपीलान्ट

2- श्री तारीफ अली अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

3- श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः- 28.02.2019

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार रानीवाडा के आदेश दिनांक 23.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम वणधर के नामान्तरकरण संख्या 645 पर पारित किया गया है, से संबंधित है।

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपीलांट के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि सरहद मौजा वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर के खसरा नंबर 819 रकबा 0.33 हैक्टर किस्म बारानी सोयम लगान 0.66 रूपये की खातेदारी मेघाराम पुत्र नोपाराम कौम मेघवाल के नाम से दर्ज थी। मेघाराम के द्वारा अपने हिस्से में से 0.05 हैक्टर भूमि का वाणिज्य रूपान्तरण दिनांक 03.06.2010 को उपखंड अधिकारी रानीवाडा के द्वारा रेवेन्यू नंबर No/REV/10/872-76 के आदेश के द्वारा उपरोक्त भूमि खातेदारी की आराजी में से 500 वर्गमीटर का वाणिज्यक रूपान्तरण मेघाराम पुत्र नेपाराम कौम मेघवाल के द्वारा करवाया गया। मेघाराम के द्वारा अपने खातेदारी आराजी का बेचान दिनांक 13.03.2016 को कुल खातेदारी 0.33 हैक्टर में से 0.28 हेक्टर का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रमेश कुमार पुत्र हीराराम कौम मेघवाल निवासी रोपसी तहसील रानीवाडा जिला जालोर को कर दिया जिसका बेचान दस्तावेज पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 233 पृष्ठ संख्या 173 क्रम संख्या 2016001111 पर पंजिबद्ध किया गया। उपरोक्त बेचान दस्तावेज का नामान्तरकरण 645 भरा गया तथा न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा दिनांक 23.06.2016 को स्वीकृत किया गया, जिसमें सम्पूर्ण खसरा नंबर 819 रकबा 0.33 हैक्टर की खातेदारी भूमि रमेश कुमार पुत्र हीराराम कौम मेघवाल निवासी रोपसी के नाम से दर्ज कर दी गयी जिससे आहत होकर अपीलांट ने अपील पेश की है।

यह भी वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के नामान्तकरण संख्या 645 को स्वीकृत करने में भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है।

अपील एवं दस्तावेजों के अनुसार सरहद मौजा वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर के खसरा नंबर 819 रकबा 0.33 हैक्टर किस्म बारानी सोयम लगान 0.66 रूपये की खातेदारी मेघाराम पुत्र नोपाराम कौम मेघवाल के नाम से दर्ज खातेदारी थी।आराजी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मेघाराम पुत्र नोपाराम कौम मेघवाल ने अपनी आराजी का कुल रकबा 0.33 हैक्टर में से 0.05 हैक्टर यानी 500 वर्गमीटर की भूमि का वाणिज्य रूपान्तरण हेतु उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के सक्षम पत्रावली पेश की तथा उपखण्ड

जिला कलेक्टर,जालोर

अधिकारी रानीवाडा के द्वारा दिनांक 03.06.2010 को रूपान्तरकरण आदेश /REV/10/872-76 मेघाराम पुत्र नोपाराम कौम मेघवाल के नाम से जारी किया तथा इसकी सूचना ग्राम पंचायत वणधर पटवार हल्का वणधर व तहसीलदार रानीवाडा को रूपान्तरण आदेश की सूचना दी गयी । उक्त रूपान्तरित भूमि 0.05 हैक्टर का बेचान जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.03.2016 को क्रेता सुमेराराम के नाम कर दिया गया था। उपरोक्त 0.05 हैक्टर रूपान्तरित भूमि का बेचान होने के बाद में खसरा नंबर 819 रकबा 0.33 हैक्टर में से 0.28 हेक्टर भूमि शेष रही है। रूपान्तरण होने के बाद में शेष रही आराजी 0.28 हैक्टर का बेचान दिनांक 13.06.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रमेश कुमार पुत्र हीराराम कौम मेघवाल निवासी रोपसी को कर दिया जिसका बेचान दस्तावेज पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 233, पृष्ठ संख्या 173 कम संख्या 2016001111 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 882 पृष्ठ संख्या 279 से 292 पर चस्पा किया गया इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मेघाराम की खातेदारी के खसरा नंबर 819 में 0.28 हैक्टर का बेचान रमेश कुमार को कर दिया तथा उपरोक्त खसरा नंबर की आराजी में से 0.05 हैक्टर वाणिज्यिक रूपान्तरण पहले करवा चुका है। मेघाराम के द्वारा रमेश कुमार के नाम से खसरा नंबर 819 में से 0.28 हैक्टर का बेचान दस्तावेज पंजीयन करवाया गया। लेकिन उपरोक्त बेचान दस्तावेज का नामान्तरकरण संख्या 645 दिनांक 23.06.2016 को तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा स्वीकृत किया गया उपरोक्त नामान्तरकरण भरते वक्त व स्वीकृत करते वक्त अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा के द्वारा दस्तावेज की सही प्रकार से जांच व अवलोकन नही किया गया है बिना जांच कर खसरा नबर 819 में से रमेश कुमार के नाम से 0.33 हैक्टर में से 0.28 हैक्टर का बेचान हुआ था लेकिन नामान्तरकरण स्वीकृत करते वक्त 0.33 हैक्टर की सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण मेघाराम की जगह रमेश कुमार के नाम से कर दिया गया उपरोक्त नामान्तरकरण में रजिस्ट्री द्वारा क्रय की गई भूमि 0.28 हैक्टर से ज्यादा अर्थात 0.33 हैक्टर भूमि क्रेता रमेश कुमार पुत्र हीराराम कौम मेघवाल निवासी रोपसी के नाम से दर्ज की गई जो गलत है। अतः उक्त नामान्तरकरण संख्या 645 गलत होने से निरस्त काबिल है।

अपील में यह भी लिखा कि मुझ अपीलांट के द्वारा दिनांक 20.9.2018 को पटवार हल्का वणधर के पास में अपने नाम से दर्ज भूमि की राजस्व रेकर्ड नकलो हेतु आवेदन किया तब पता चला कि मेघाराम के नाम से दर्ज तमाम भूमि रमेश कुमार के नाम से दर्ज की गई है तथा वाणिज्यक भूमि भी बिना नामान्तरकरण रमेश कुमार के नाम से दर्ज हो चुकी है। उसके बाद तहसीलदार रानीवाडा के वहां नकलो हेतु आवेदन किया तथा नामान्तरकरण की नकले दिनांक 27.09.2018 को प्राप्त हुई। जिसकी जानकारी होते ही अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी किसी प्रकार की देरी मानी जावे तो धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश है जो स्वीकार फरमाया जाकर देरी को साक्ष्य फरमावे।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य सुस्पष्ट है जिसके अनुसार खातेदार मेघाराम के नाम खसरा नम्बर 819 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में थी। खातेदार ने उक्त भूमि में से 0.05 हैक्टर का वाणिज्यिक रूपान्तरण उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के आदेश दिनांक 03.06.2010 के द्वारा करवा लिया गया था तथा उक्त रूपान्तरित भूमि का बेचान अपीलान्ट सुमेराराम पुत्र मसरारामजी जाति पुरोहित निवासी वणधर तहसील रानीवाडा के हक में जरिये रजिस्ट्री दिनांक 22.03.2016 को कर दिया था। इस प्रकार खातेदार मेघाराम के स्वामित्व में खसरा नंबर 819 में शेष रही भूमि 0.28 हेक्टेयर थी जिसका मेघाराम द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 13.03.2016 से बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रमेश कुमार के नाम किया गया। इस प्रकार दस्तावेजों से भलीभाती स्पष्ट है कि खातेदार मेघाराम (रेस्पोडेन्ट संख्या 1) के द्वारा अपने खसरा नम्बर 819 की कुल 0.33 हैक्टर भूमि में से 0.05 हैक्टर के रूपान्तरण पश्चात शेष रही 0.28 हैक्टर भूमि का ही रजिस्टर्ड बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रमेश कुमार के नाम किया गया है तथा 0.28 हैक्टर का ही बेचान संभव था। लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 645 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बेचान दस्तावेज के आधार पर 0.28 हैक्टेयर की बजाय 0.33 हैक्टेयर का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम पारित किया गया है जो स्पष्ट रूप से इस सीमा तक त्रुटि पूर्ण है। दौराने

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला कलेक्टर,जालोर

बहस रेस्पोडेन्ट्स की तरफ से उपरोक्त तथ्यो के विरूद्ध कोई प्रतिरोध जाहिर नही किया है तथा स्वीकार किया कि उक्त नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण है। अतः अपीलाधीन नामान्तकरण काबिल खारीज है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 645 दिनांक 23.06.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रानीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नियमानुसार बेचान दस्तावेजों के आधार पर जांच कर सभी संबंधित को समुचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिवत नामान्तकरण पारित करे।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर
जालोर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.12 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: